मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(तृतीय वर्ग लिपिकीय)

सेवा भरती नियम, 1993

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
1993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 1993 में प्रकाशित.

भाग 4 (ग)

नियम

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 1993

क्र. एफ. 2-50-सात-शा-6-93.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (तृतीय वर्ग लिपिकीय) सेवा भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (तृतीय वर्ग लिपिकीय) सेवा भरती नियम, 1993 है.

(दो) यह नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है नियुक्तियां करने के लिये सशक्त ऐसा प्राधिकारी, जो अनुसूची-एक में यथा वर्णित है;

(ख) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश;

(ग) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(घ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(च) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (तृतीय वर्ग लिपिकीय) सेवा.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलत: या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधो के अनुसार सेवा में भरती किये जाएं.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित किये गये पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भरती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भरती, चयन द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;

(ख) पदोन्नति द्वारा.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के साथ अनुसूची-दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में की किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किये गये सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों से भिन्न ऐसा तरीका अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**—(क) उसने चयन के प्रारंभ होने के तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गई आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु-सीमा शिथिल की जाएगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो,

38 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद ''छंटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटक इकाईयों में से किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई प्रतिरक्षा सेवा की सम्पूर्ण कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण जिसकी छंटनी की गई थी या जिसे अधिशिष्ट घोषित कर दिया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण हो जाने पर, (ख) नामांकन संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(पांच) ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 1 जनवरी 1963 से या उसके पश्चात् एन.सी.सी. में पूर्णकालीक कैडेट इन्सट्रक्टर के रूप में भरती किये गये हों, उसकी आरंभिक/बढ़ी हुई सेवा अवधि समाप्त होने पर एन.सी.सी. से निर्मुक्त होने पर राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियोजन के प्रयोजन के लिये, छंटनी किये गये सरकारी कर्मचारी के रूप में

समझे जायेंगे और वास्तविक आयु में से उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि को कम करने के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा और यदि पारिणामिक आयु किसी विशिष्ट पद के लिये विहित उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें उच्चतम आयु के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे उस पद पर नियुक्ति के लिये शर्तों को पूरा करते रहे हैं बशर्ते कि उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 1134-सी.आर.-88-एक (तीन) (66), दिनांक 27 मई 1966 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र हो.

(घ) विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु-सीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नि (पार्टनर) के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(छ) ''विक्रम पुरस्कार'' धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मंडलों (बोर्डों) के कर्मचारी हों, उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नान-कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु-सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिये पात्र पाये जाते हैं यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी.—(2) यह आयु-सीमा किसी अन्य मामले में शिथिल नहीं की जाएगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिये अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित की गई ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है, परन्तु—

(क) बोर्ड अपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हित मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई आर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिनके कारण बोर्ड/समिति की राय में अभ्यर्थी के चयन हेतु विचारण किया जाना न्यायोचित ठहराया हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जो अन्यथा अर्हित हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय नहीं हो, बोर्ड/समिति के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये विचार कर सकेगी.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. **निर्रहता.**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयत्न को बोर्ड द्वारा उसे चयन के लिये निरर्हित ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा.**—चयन/परीक्ष में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे बोर्ड द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार/परीक्ष में सम्मिलित नहीं किया जायेगा.

11. **प्रतियोगी परीक्ष द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भरती के लिये प्रतियोगी परीक्ष ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी जिन्हें कि नियुक्ति प्राधिकारी, बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर, अवधारित करे.

(2) बोर्ड द्वारा परीक्ष ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर जारी करे.

(3) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 16% और 20% रिक्तियां उन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यार्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रेंक) कुछ भी क्यों न हों.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यार्थियों को, जिनकी बोर्ड द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त होने की सिफारिश की गई है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से उन्हीं अभ्यर्थियों के लिये दो बार पुनः विज्ञापित की जाएगी, यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां बिना भरी हुई रह जाएं तो वे रिक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी और उतनी ही संख्या में अतिरिक्ति रिक्तियां पश्चात्वर्ती चयन के दौरान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित रखी जाएंगीः

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रनीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के 45 प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

12. **बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि बोर्ड अवधारित करे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हो, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, बोर्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, योग्यता (मेरिट) के क्रम से बनाई गई एक सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित भी की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे.

(2) समिति सामान्यत: एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी.

(3) ऐसे पदों पर, जिनमें पदोन्नति की प्रतिशतता अनुसूची-दो के अनुसार 33 1/3 प्रतिशत या उससे अधिक है, पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों का 16% तथा 20% क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जो नियम-14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हों.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.**—उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित पद या पदों पर (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) यथा विहित, उतने वर्षों की सेवा जो की अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है पूरी कर ली हो तथा जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचार क्षेत्र (जोन ऑफ कन्सीडरेशन) में आते हों :

परन्तु मुख्य लेखापाल, लेखापाल, मुख्य संगणक, भण्डारी, खजांची और अन्य समस्त ऐसे लिपिकीय पदों पर जिनके लिए लेखा प्रशिक्षण आवश्यक है अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा वर्णित कनिष्ठ पदों के व्यक्तियों में से पदोन्नति की जाएगी जो मध्यप्रदेश लेखा प्रशिक्षण या उसके समतुल्य सरकार द्वारा घोषित कोई अन्य लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लेखा में अर्हित हो चुका हो. यदि लेखा प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हो तो वरिष्ठतम व्यक्ति को, जो अन्यथा उपयुक्त हो, ऊपर वर्णित पदों पर इस शर्त के अधीन पदोन्नत कर दिया जाएगा कि वह उक्त लेखा प्रशिक्षण 2 वर्ष की कालावधि के भीतर उत्तीर्ण करेगा, जिसके असफल रहने पर उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि यदि किसी कनिष्ठ लेखा प्रशिक्षित व्यक्ति को वरिष्ठ लेखा प्रशिक्षित व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऊपर वर्णित पदों पर पदोन्नति दे दी गई है और वरिष्ठ लेखा प्रशिक्षित व्यक्ति को कनिष्ठ प्रशिक्षित व्यक्तियों से पूर्व लेखा प्रशिक्षण के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया हो, तो वरिष्ठ व्यक्ति के लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करते ही इस प्रकार पदोन्नत किया गया कनिष्ठ व्यक्ति प्रतिवर्तित हो जाएगा और उसके स्थान पर तुरन्त पदोन्नत किया जाएगा.

(2) चयन का क्षेत्र ''योग्यता-सह-ज्येष्ठता'' के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के सामान्यत: सात गुना तक और ''ज्येष्ठता-सह-योग्यता'' के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के सामान्यत: पांच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में उपयुक्त व्यक्ति अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जिस सीमा तक समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, आवश्यक समझा जाए.

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.**—(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो ऊपर नियम-14 में विहित की गई शर्तें पूरी करते हों, और समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25% व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन ज्येष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी दृष्टि से योग्यता तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए गए पदधारियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए अनुसार सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को, जो समिति की राय में आपवादिक योग्यता और उपयुक्तता रखता हो, सूची में उससे ज्येष्ठ व्यक्ति की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही, उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

16. **चयन सूची.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह ऐसे उपांतरणों के साथ यदि कोई हो, उसके कारणों का लिखित में वर्णन करते हुए, सूची का अंतिम रूप से अनुमोदन करेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों के उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार करने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी और समिति के अनुरोध पर किया जा सकेगा और वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति**.—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों, पदधारियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग में के पदों पर उसी क्रम से की जायेंगी जिस क्रम में ऐसे पदधारियों के नाम चयन सूची में आए हों:

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो या जो चयन सूची में अगले क्रम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा उस सेवा में उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जिससे नियुक्ति प्राधिकारी की राय में वह सेवा में नियुक्ति प्राधिकारी की राय में वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

18. **परिवीक्षा:**—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

19. **निर्वाचन.**—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण**.—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे रीति में कार्यवाही करने की, राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

अ.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कार्यालय अधीक्षक	1	मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा)	रु. 1640—60—2600—75—2900	नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म. प्र.,भोपाल	
2	लागत लेखापाल	2	-तदैव-	रु. 1600—50—2300—60—2720	-तदैव-	
3	सहायक कार्यालय अधीक्षक.	1	-तदैव-	रु. 1400—40—1440—50—2340	-तदैव-	
4	मुख्य लेखापाल	1	-तदैव-	रु. 1400—40—1440—50—2340	-तदैव-	
5	निरीक्षक	2	-तदैव-	रु. 1400—40—1440—50—2340	-तदैव-	
6	शीघ्रलखक	1	-तदैव-	रु. 1400—40—1440—50—2340	-तदैव-	
7	मुख्य लिपिक/ प्रकाशक सहायक/ सहायक.	11	-तदैव-	रु. 1320—40—1440—50—2040	-तदैव-	
8	मुख्य संगणक	1	-तदैव-	रु. 1320—40—1440—50—2040	-तदैव-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	लेखापाल	9	मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा)	रु. 1320—40—1440—50—2040	नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री म. प्र.,भोपाल	
10	वरिष्ठ भंडारी	9	–तदैव–	रु. 1200—40—1440—50—2040	–तदैव–	
11	उच्च श्रेणी लिपिक/ कास्टिंग बिल क्लर्क/ वरिष्ठ संगणक.	77	–तदैव–	रु. 1150—30—1210—40—1450—50—1800	–तदैव–	
12	निम्न श्रेणी लिपिक/ मुद्रलेखक/कनिष्ठ भंडारी/समयपाल/ संगणक.	194	–तदैव–	रु. 950—25—1000—30—1210—40—1530	–तदैव–और/ या कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ उप नियंत्रक अपने कार्यालय के लिये.	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम : शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा/ चयन द्वारा नियम 6 (क) देखिये	सेवा के मूल/ स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कार्यालय अधीक्षक	1	निरंक	100%	
2	लागत लेखापाल	2	निरंक	100%	
3	सहायक कार्यालय अधीक्षक	1	निरंक	100%	
4	मुख्य लेखापाल	1	निरंक	100%	जो मध्यप्रदेश लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण है.
5	निरीक्षक	2	निरंक	100%	
6	शीघ्रलेखक	1	100%	निरंक	
7	मुख्य लिपिक/प्रकाशन सहायक/सहायक	11	25% (केवल सहायक)	100%	मुख्य लिपिक/प्रकाशन सहायक 75 प्रतिशत सहायक.
8	मुख्य संगणक	1		100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	लेखापाल	9		100%	जो मध्यप्रदेश लेखा प्रशिक्षण या उसके समतुल्य प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो यदि उत्तीर्ण न हो तो उसे दो वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना होगा.
10	वरिष्ठ भंडारी	9	निरंक	100%	–तदैव–
11	उच्च श्रेणी लिपिक/ बिल कास्टिंग क्लर्क/ वरिष्ठ संगणक.	77	निरंक	100%	इकाई स्तर के आधार पर
12	निम्न श्रेणी लिपिक/ मुद्रलेखक/कनिष्ठ भंडारी/ समयपाल/संगणक.	194	80%	20%	इकाई स्तर के आधार पर चतुर्थ वर्ग लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा.

अनुसूची–तीन

(नियम 8 तथा 11 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश	तृतीय वर्ग लिपिकीय सेवा				
	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) हायर सेकेण्ड्री या 10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो;	
				(ख) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल (बोर्ड) द्वारा संचालित या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी में शीघ्र–लेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो.	
	सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो.	
	निम्न श्रेणी लिपिक/ मुद्रलेखन/कनिष्ठ भंडारी/समयपाल/ संगणक	18 वर्ष	30 वर्ष	(क) हायर सेकेण्ड्री या 10+2 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और हिन्दी में दक्ष हो.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(ख) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल (बोर्ड) द्वारा संचालित या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी में मुद्र-लेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनिट की मुद्रलेखन की गति के साथ उत्तीर्ण हो.	

अनुसूची–चार

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम		सेवा या उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	कालम (4) में के पद पर पदोन्नति की पात्रता के लिए कालम (2) में के पद पर सेवा की कालावधि	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश.	(1)	सहायक कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लेखापाल/निरीक्षक	3 वर्ष	कार्यालय अधीक्षक	तीन उप नियंत्रक, जो नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री द्वारा नियुक्त किए जाएं उप नियंत्रक की अनुपस्थिति में सहायक नियंत्रक लिए जा सकेंगे.
	(2)	सहायक कार्यालय अधीक्षक/ मुख्य लेखापाल/निरीक्षक लेखा प्रशिक्षित.	3 वर्ष	लागत लेखापाल	—तदैव—
	(3)	मुख्य लिपिक/प्रकाशन सहायक/ सहायक/मुख्य संगणक.	3 वर्ष	सहायक कार्यालय अधीक्षक/निरीक्षक	—तदैव—
	(4)	लेखापाल	3 वर्ष	मुख्य लेखापाल	—तदैव—
	(5)	लेखापाल/वरिष्ठ भण्डारी/ उच्च श्रेणी लिपिक/बिल कास्टिंग क्लर्क/वरिष्ठ संगणक.	3 वर्ष	मुख्य लिपिक/प्रकाशन सहायक/सहायक/ मुख्य संगणक.	—तदैव—
	(6)	उच्च श्रेणी लिपिक/कास्टिंग बिल क्लर्क/वरिष्ठ संगणक लेखा प्रशिक्षित.	3 वर्ष	लेखापाल/वरिष्ठ भण्डारी	—तदैव—
	(7)	निम्न श्रेणी लिपिक/मुद्रलेखक/ कनिष्ठ भण्डारी/समयपाल/ संगणक.	3 वर्ष	उच्च श्रेणी लिपिक/बिल कास्टिंग क्लर्क/वरिष्ठ संगणक.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(8)	चतुर्थ वर्ग निम्न श्रेणी लिपिकों तथा मुद्रलेखकों के स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत लिपिकीय अर्हता प्राप्त चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे. वे व्यक्ति जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है, अर्हता प्राप्त समझे जाएंगे.	5 वर्ष	निम्न श्रेणी लिपिक/ मुद्रलेखक	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तीन सदस्यों की समिति नियुक्त की जाएगी.

टिप्पण.—लेखापालों/वरिष्ठ भंडारी की ज्येष्ठता मुख्य लिपिक/प्रकाशन सहायक/सहायक/मुख्य संगणक के पदों पर पदोन्नति के लिए उच्च श्रेणी लिपिक के काडर में उनकी अपनी स्थिति के अनुसार शासित होगी.

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 1993

क्र. एफ. 2-50-सात-शा-6-93.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2-50-सात-शा-6-93, दिनांक 9 जुलाई 1993 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के नाम से तथा प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

Bhopal, the 9th July 1993

No. F. 2-50-VII-Sec-6-93.—In Exercise of the powers conferred by the porviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Printing and Stationery (Class-III Ministerial) Service, namely:—

1. **Short Title and Commencement.—**(i) These rules may be called the Madhya Pradesh Printing and Stationery Subordinate (Class-III Ministerial) Service, Recruitment Rules, 1993.

(ii) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2 **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appoints as mentioned in Schedule-I;

(b) "Board" means the Junior Services Selection Board, Madhya Pradesh;

(c) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(d) "Scheduled Castes'" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of Constitution of India;

(e) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group whithin a tribe or tribal community specified as Schedule tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(f) "Service" means Madhya Pradesh Printing and Stationery Subordinate (Class-III Ministerial) Service.

3. **Scope and Applications.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(i) Persons, who at the time of commencement of these rules, are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale or pay attached, thereto shall be as specified in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Methods of Recruitment.**—(1) Recruitment to the service after the commencement of these rules, shall be made by the following methods. namely:—

(a) by direct recruitment, by selection or through competitive examination;

(b) by promotion;

(2) The number of persons recruited under clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Apponting Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i) if in the opinion of the Apponting Authority the exigencies of the service so require, he may with the prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified, in rule 6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions. namely :—

(1) **Age.**–(a) He must have attained the ase specified in column (3) of Schedule III and not attained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, Workcharge employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or at any of the constitutent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate, who is an Ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term " Ex-serviceman" denotes a person who belong to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of recommendations of the Economy unit or due to normal reduction in Establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment exchange or of application made otherwise for employement in Government Service:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-Serviceman enrolled for a second time discharged on (a) completion of short term engagament; (b) fulfilling the conditions of enrolement;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military & Civil) discharged on completion of their contract including short service regular Commissioned Officers;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-Serviceman invalid out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficent soldiers;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(v) Persons recurited from 1-1-1963 onwards as whole time cadets instructors in the N.C.C. shall on release from the N.C.C. on the expiry of their initial/extended tenure by regarded as retrenched Government employees for purpose of employment in civil posts under the State Government and may be

followed to duduct from their actual age and period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the prescribed upper age limit of a particular post by more than 3 years, they will be deemed to be satisfying the conditions for appointment to that post in respect of the maximum age provided they possess necessary certificate as per instructions contained in G.A.D. Memo No. 1134-CR-88-I(iii) (66) dated 27-5-1966.

(d) The general upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of widow, destitutes or divorced woman candidates.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect or Green Cards holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The general upper age litnit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Intercaste marriage incentive programme of the tribal, Scheduled Caste and Backward Classes Welfare Department;

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note.—(l) Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however coutinue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note.—In no other case will these age limits be relaxed, Departmental candidate must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(2) **Educational Qualifications.**— The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service shown in schedule III provided that :—

(a) In exceptional cases the Board may on the recommendation of the Appointing Authority, treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other Institutions by such a standard, which in the opinion of the Board/Committee, justifies the consideration of the candidate for selection; and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities, being University not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the Examination/Selection at the discreation of the Board/Committee.

(3) **Fees.**—The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disquailfication.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Board to disqualify him for selection.

10. **Board's Decision About the Eligibility of candidates shall be final.**—The decision of the Board as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the board shall be interviewed/admitted to the examination.

11. **Direct Recruitment by Competitive examination.**—(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may in consultation with the board from time to time determine.

(2) The examination shall be held by the Board in accordance with the orders as the appointing authority may from time to time, issue.

(3) 16% and 20% of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidate who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribe respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the scheduled castes and scheduled tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes recommended by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be readvertised twice exclusively for these candidates. If even after re-advertisement any vacancies remaining unfilled they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes as the case may be during the subsequent selection :

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Schedulect Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed 45% of the total vacancies advertised.

12. **List of candidates recommended by the Board.**—(1) The Board shall forward to the appointing authority a list arranged in order of merit' of the candidates who have qualified by such standards as the Board may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which' their names appear in the list

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13 **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee consisting .of the members mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 16% & 20% of the vacancies available for promotion in which the percentage of promotion is $33^{1}/_{3}$ percent or more, according to Schedule II, shall be reserved for such employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with lhe provisions of rule-14.

(4) Procedure for making promotions to the vacancies reserved shall be in accordance with lhe instructions issued by Govermnent in the General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion.**—Subject to the provision of sub rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) as prescribed on the post from which promotion is to be made or any the post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule IV and within the zoon of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2) :

Provided that promotion to the posts of Head Accountant, Accountant, Head Computer. Store Keeper, Cashier and all other such clerical posts for which accounts training is compulsory will be made only from the persons in the junior posts as mentioned in column (3) of Schedule IV who have qualified in accounts by passing the Madhya Pradesh Accounts Training or any other accounts training declared by Government equivalent thereto. If no accounts trained person is available, senior most person who is otherwise suitable shall be promoted to the above mentioned posts subject to condition that he shall pass the said accounts training within a period of 2 years failing which he will be reverted :

Provided further that if any junior accounts trained person has been promoted on the above mentioned posts in absence of senior accounts trained person and the latter was not afforded any opportunity for accounts training prior to the junior trained persons the junior persons so promoted will be reverted as soon as the senior person passes the accounts training and promoted in his place immediately.

(2) The field of selection shall ordinary be limited to seven times the number of persons to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of "merit-cum-seniority" and five times the number of persons to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of "seniority-cum-merit":

Provided that if the required number of suitable persons are not availabe in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons in writing,

15. **Preparation of list of suitable officials.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list containing 25% of the number of persons included in the select list shall also be prepared to meet the unforseen vacancies occuring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of selected officials included in the list shall be arranged in order of seniority in the service as shown in column (2) of schedule IV at the time or preparation of select list :

Provided that any junior person who in the opinion of the committee, is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of a person senior to him.

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select List.**—(1) The appointing authority shall consider the list prepared by the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list, shall approve the list finally with such modifications, if any, narrating reasons thereof in writing.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the post mentioned in column (4) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a .grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the appointing authority and the Committee, and he may, if he thinks fit remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.**—(1) Appointments of the persons officials included in the select list to the posts borne on the cadre of the service, shall follow the order in which the names of such official appear in the select list:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in the order in the select list may be appointed to the service if the appointing authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him insuitable for appointment to the service.

18. **Probations.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.**—If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**—Nothing in these rule shall be constured to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such a manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and saving.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya pradesh,
P. D. AGRAWAL, Dy. Secy.

SCHEDULE-I

(See Rule-5)

S.No.	Name of the posts included in the service	No. of posts	Classi-fication	Scale of Pay	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Office Superintendent	1	Madhya Pradesh Printing & Stat-ionery Subordi-nate (Class-III Ministerial Services).	Rs. 1640-60-2600-75-2900	Controller, Government Printing & Stationery, M. P. Bhopal.	
2	Cost Accountant	2	-do-	Rs. 1600-50-2300-60-2720	-do-	
3	Assisatant Office Superintandent.	1	-do-	Rs. 1400-40-1440-50-2340	-do-	
4	Head Accountant	1	-do-	Rs. 1400-40-1440-50-2340	-do-	
5	Inspector	2	-do-	Rs. 1400-40-1440-50-2340	-do-	
6	Stenographer	1	-do-	Rs. 1400-40-1440-50-2340	-do-	
7	Head Clerk/publication Asstt./Assistant.	11	-do-	Rs. 1320-40-1440-50-2040	-do-	
8	Head Computor	1	-do-	Rs. 1320-40-1440-50-2040	-do-	
9	Accountant	9	-do-	Rs. 1320-40-1440-50-2040	-do--	
10	Senior Store keeper	9	-do-	Rs. 1200-40-1440-50-2040	-do--	
11	Upper Division Clerk/Costing Bill Clerk/Senior Computor.	77	-do-	Rs. 1150-30-1210-40-1450-50-1800.	-do--	
12	Lower Division Clerk/Typist/ Junior Store Keeper/Time Keeper/ Computor	194	-do-	Rs. 950-25-1000-30-1210-40-1530.	Controller, Government Printing & Stationery, M.P. Bhopal and/or Deputy Controller for posted as head of the office for his office.	

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Name of the Department : Government Printing and Stationery, Madhya Pradesh, Bhopal.

S.No.	Name of the posts included in the service	No. of posts	Percentage of the number duty post to be filled in		Remark
			By Direct reauitment by Selection vide rule 6(a)	By promotion of substantive officiating members of service vide rule 6(b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Office Superintendent	1	Nil	100%	
2	Cost Accountant	2	Nil	100%	
3	Assistant Office Superintandent.	1	Nil	100%	
4	Head Accountant	1	Nil	100%	Who must have passd M.P. Accounts Training.
5	Inspector	2	Nil	100%	
6	Stenographer	1	100%	Nil	
7	Head Clerk/Publication Asstt./Assistant.	11	25% (Assistant only)	100%	Head Clerk/Publication Assistant and 75% Assistant.
8	Head Computor	1	—	100%	
9	Accountant	9	—	100%	Who must have passed Madhya Pradesh Accounts Training or equivalent thereto. If not already passed he will have to pass it within 2 years.
10	Senior Store Keeper	9	Nil	100%	—do—
11	Upper Division Clerk/Bill Costing Bill Clerk/Senior Computor.	77	Nil	100%	on unit level basis
12	Lower Division Clerk/Typist/ Junior Store Keeper/Time Keeper/ Computer.	194	80%	20%	on unit level basis by promotion of Class-IV (Ministerial) employees.

SCHEDULE-III

(See Rule 8 and 11)

Name of the Department (1)	Name of the Service (2)	Minimum age limit (3)	Upper age limit (4)	Educational Qualification Prescribed (5)	Remarks (6)
Government Printing and Stationery.	Class III Ministerial Service.				
	Stenographer	18 Years	30 Years	(a) Must have passed Higher Secondary or High School Examination under 10+2 education system. (b) Must have passed examination in Hindi Shorthand and Typewriting conducted by the Board of Shorthand and Typewriting Examination Madhya Pradesh or from any institute recognised by Madhya Pradesh Government.	
	Assistant	18 Years	30 Years	Graduate from a recognised University.	
	Lower Division Clerk/ Typist/Jr. Store Keeper/ Time Keeper/ Computor	18 Years	30 Years	(a) Must have passed Higher Secondary Examination or High School Exainination under 10+2 education system and proficiency in Hindi. (b) Must have passed Hindi Typeewriting Examination conducted by the Board of Shorthand and Typewriting Examination, Madhya Pradesh, or from any institute recognised by Government, with typing speed of 25 words per minute.	

SCHEDULE-IV

(See Rule 13)

Name of the Department (1)	Name of Service or Post from which promotion is to be made (2)	Period of Column Service in the posts of 2 for eligibility for promotion to the post in No. 4 (3)	Name of the Service or Posts to which promotion is to be made (4)	Name of the members of Departmental Promotion Committee (5)
Government Printing and Stationery, M.P.	(l) Assistant Office Superintendent/ Head Accountant/ Inspector.	3 Years	Office Superintendent	Three Deputy Controllers to be appointed by the Controller, Government Printing and Stationery. In the absence of Deputy Controller, Assistant Controllers may be taken.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(2) Assistant Office Superintendent/ Head Accountant/ Inspector/Accounts Trained.	3 Years	Cost Accountant	Three Deputy Controllers to be appointed by the Controller, Government Printing and Stationery. In the absence of Deputy Controller, Assistant Controllers may be taken.
	(3) Head Clerk/publication Assistant/ Assistant/Head Computer.	3 Years	Assistant Office Superintendent/ Inspector.	—do—
	(4) Accountant	3 Years	Head Accountant	—do—
	(5) Accountant/Sr. Store Keeper/ U.D.C./Bill Costing Clerk/Senior Computer.	3 Years	Head Clerk/Publication Assistant/Assistant/ Head Computer.	
	(6) Upper Division Clerk/ Bill Costing Clerk/Senior Computer Accounts Trained.	3 Years	Accountant/Sr. Store Keeper.	—do—
	(7) Lower Division Clerk/Typist/Junior Store Keeper/Time Keeper/Computer.	3 Years	Upper Division Clerk Bill Costing Clerk/ Senior Computor.	—do—
	(8) Class IV Ministerial 20% in sanctioned posts of L.D.C.'s and typists will be reserved for promotion of qualified Class-IV employees. The persons who have passed Higher Secondary Examination of a recognised institution will be treated qualified persons.	5 Years	Lower Division Clerk/Typist.	The Committee Shall be appointed by the appointing authority Consisting of three members.

Note.—The seniority of the Accountants and senior Store Keeper shall be governed by their position in the cadre of the U.D.C. for the Promotion of the posts of Head Clerk/Publication Assistant/Assistant/Head Computer.

GCPB—765—CP&SMPB—22-7-93—325